सं०सं०–03 / परी०–B.T.S.C.–(अधि०)06–23 / 2024.3657 पटना, दिनांकः–28/11/2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–01 / 2019 कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक / विद्युत)

Civil Appeal No.-18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11 / आ०–न्याय–73 / 2024 12679 / सा०प्र० दिनांक–12.08.2024 द्वारा प्रकाशित गजट के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र संख्या–3360, दिनांक–30.10.2024 के द्वारा विज्ञापन सं०–01 / 2019, कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक / विद्युत) के अन्तर्गत शामिल ताँती (ततवा) जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने Online आवेदन में अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर पान / स्वासी / पानर जाति का दावा किया है, को यह निदेश दिया गया था कि **आयोग के Portal (http://103.75.167.252/CASTE/LOGIN.ASPX) पर Login** करते हुए अपनी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत ताँती (ततवा) अवश्य सुधार कर लें, साथ ही वैसे सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र Upload करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पान / स्वासी / पानर जाति के अभ्यर्थियों को दिनांक–12.08.2024 के बाद की तिथि का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र upload करने हेतु निदेशित किया गया था।

प्राप्त जाति / क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा ताँती (ततवा) जाति से संबंधित मात्र जाति प्रमाण पत्र Upload किया गया है, जो विज्ञापन की कंडिका–5 (c)–(पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा) में अंकित शर्तो से इतर है तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक–12.08.2024 के पूर्व का निर्गत / पूर्व का निर्गत परन्तु दिनांक–12.08.2024 के बाद प्रतिहस्ताक्षरित पान / स्वासी / पानर जाति का जाति प्रमााण–पत्र upload किया गया है, जो मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कोई जाति / क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र upload नहीं किया गया है।

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र (ताँती (ततवा) जाति के अभ्यर्थियों हेतु) अथवा जाति प्रमाण–पत्र (पान / स्वासी / पानर जाति के अभ्यर्थियों हेतु जो दिनांक–12.08.2024 के बाद निर्गत हो) **दिनांक–05.12.2024 तक** निश्चित रूप से आयोग के Portal पर upload करना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित अंतिम तिथि तक वांछित प्रमाण–पत्र upload नहीं करने पर आपके आरक्षण संबंधी दावा को अमान्य करते हुए आपकी अभ्यर्थिता को अनारक्षित कोटि में मान्य किया जाएगा।

नोटः– Online Portal के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से यथा–E-mail / रजिस्टर्ड पोस्ट / निबंधित कुरियर / आयोग कार्यालय में प्रमाण–पत्र जमा करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/- 28.11.2024

प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।